राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर

Phone No. 0291-2432765, Email ID- chiefgwd3@gmail.com

क्रमांकः- एफ.3(8)(40)भूजल/स्था/जोधपुर/2018/ 220 दिनांकः-03.05.2018

-:: आदेश ::-

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित होने के उपरान्त तथा प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में परीवीक्षाधीन प्रक्षिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक राशि रूपये 14,600/- प्रतिमाह (अक्षरे रूपये चौदह हजार छः सौ) एवं परीवीक्षाकाल में संतोषजनक सेवाऐं पूर्ण करने के उपरान्त पे-मेट्रीक्स लेवल संख्या-5 पर लिखित शर्तो पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड-द्वितीय) के पद पर नियुक्त किया जाता है:-

क्र. स.	RPSC मेरिट क्रमाक एवं Roll No.	अभ्यर्थी की फोटो	अभ्यर्थी का नाम(सर्वश्री/सुश्री /श्रीमती)/पिता का नाम/पता	जन्मतिथि	वर्ग	पदस्थापन्न कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7
1	349/670189		दीपसिंह पुत्र श्री मगसिंह पता - रामदेव कॉलोनी, नयापुरा चौखा, राजीव गांधी नगर थाना, जिला-जोधपुर पिनकोड - 342001	13.07.1992	Gen	सहायक अभियन्ता (द्वितीय) भू जल विभाग, जोधपुर
2	2881/758565		प्रदीप गुगड़ पुत्र श्री किताराम पता - वि.पोस्ट हरीयाजून, तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर पिनकोड - 341508	08.08.1993	BC	अधिशाषी अभियन्ता (केन्द्रीय कार्यशाला), भू जल विभाग, जोधपुर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन की जाती है।

1. उक्त नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किया गया। अधीनस्थ कार्यालयों/विभागों के लिए नवीनतम रूप से अस्थाई चयनित अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 21.11.2017 को जारी की गयी में नियुक्तियां आवंटित पदों के सम्बन्ध में डी.बी. अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 एवं अन्य याचिकाओं/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

J. mehta 27.3 3/5/18

भू-जल वैज्ञानिक, डीएसपीसी
क्रमांक 106
दिनांक 4/5/18
भू-जल विभाग, जोधपुर

2. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 18.05.2018 तक अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि दिनांक 18.05.2018 तक उक्त पद का कार्यभार ग्रहण नही करता है तो अभ्यर्थी के आवेदन फार्म प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर को भिजवा दिये जायेगें।

3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करनी होगी।

4. उक्त नियुक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी. एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प/सामान्यअवि/2015/54159-290 दिनांक 09.09.2015 एवं पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 में वर्णित दिशा निर्देशों/सत्यापन्न के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

5. परिवीक्षाकाल (Probationer Trainee) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो तो, में असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।

7. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड-द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में मेरिट के अनुसार रहेगी।

8. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।

10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन्न पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel)से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश अनापति प्रमाण पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी नव-पदस्थापन्न कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों /परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।

12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ.13(1)एफडी/रूल्स /2003 दिनांक 13. 03.2006 एवं राजस्थान सविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2005 राजस्थान बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगी।

13. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पर्वू 10/- रूपये सममूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य है, प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेंज/सूचना असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार/नियुक्तिकर्ता इनकी सेवाऐ तत्काल समाप्त कर सकेगी।
14. सभी अभ्यर्थियों की जन्मतिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।
15. राजस्थान यात्रा भत्त नियमों के अध्याय-।। (अनुभाग-।) में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवाग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(सूरजभान सिंह)
मुख्य अभियन्ता,
भू जल विभाग,जोधपुर

क्रमांकः- एफ.3(8)(40)भूजल/स्था/जोधपुर/2018/220 दिनांकः-03.05.2018

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (गुप-3), विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 1(6)प्रसु/अनु-3/2017/जयपुर दिनांक 08 फरवरी 2018 के क्रम में।
2. उप शासन सचिव, भू जल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.4(9)भूजल/2014 जयपुर दिनांक 27.04.2018 के क्रम में।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. वित्तीय सलाहकार, भू जल विभाग, जोधपुर
5. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक-प्रथम, कृते मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
6. अधीक्षण अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर/(के.भ.)जोधपुर/(मु.)जोधपुर
7. अधिशाषी अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता, भू जल विभाग, (के.का.)जोधपुर को देकर लेख है कि अभ्यर्थी से कार्यग्रहण करने से पूर्व प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं दहेज नही लेने का शपथ पत्र जो 10/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित हो प्राप्त करने पर ही कार्यग्रहण करावें। (संलग्न मूल आवेदन पत्र के दस्तावेज मय पुलिस सत्यापन्न रिपोर्ट पृष्ठ 01 से 27 तक)
9. नोडल अधिकारी विभागीय वैबसाईट एवं वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक,भू जल विभाग, (DSPC)जोधपुर को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. सहायक अभियन्ता, भू जल विभाग,(द्वितीय) जोधपुर (संलग्न मूल आवेदन पत्र के दस्तावेज/चिकित्सा प्रमाण पत्र/दहेज घोषण पत्र मय पुलिस सत्यापन्न रिपोर्ट पृष्ठ 01 से 29 तक)
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यालय।
12. सम्बन्धित उप निदेशक/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा विभागीय कार्यालय।

13. सम्बन्धित श्री ....पुत्र श्री ....पता ....
....

14. ए.पी.ए. शाखा/जांच शाखा/स्वीकृतपद शाखा/विपत्र शाखा/स्थापना शाखा(मुख्यालय)।

15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

नोटः-विभागीय कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने से पूर्व शर्तो के बिन्दु संख्या-03 एवं 14 की पालना उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें साथ ही इनके कार्यग्रहण की रिपोर्ट उसी दिवस को मुख्यालय को जरिये फैक्स 0291-2631295 अथवा E-Mail Id. osgwd12@gmail.com भिजवावे, यदि अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उसके दस्तावेज मुख्यालय को भिजवाना , सुनिश्चित करावें।

(डॉ. विमल सोनी)
वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक एवं,
तकनीकी सहायक-द्वितीय,
भू जल विभाग,जोधपुर